

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 356 सन 2018  
अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह 2 रायसिंह पुत्रगण भागीरथ जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।

## बनाम

1. भागीरथ पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर।
2. फुलमादेवी पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवासी 22 एनडीआर चौहिलावाली तहसील पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
3. सन्तोष पुत्री भागीरथ पत्नी सतवीर जाति जाट साकिन ढण्डेला तहसील नोहर हाल निवासी 22 एनडीआर चौहिलावाली तहसील पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

## प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 24.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 124/121 के खसरा न0 216/1.1380 हैक , खसरा न0 265/3 की 12.3180 हैक , कुल 13.4560 हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 38/34 के प0 न0 237/390(26) किला न0 0 की 0.0510 हैक गैर मुमकिन खाला किला न0 11/0.2530 ,16/0.227 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.228 हैक कुल 2.7830 हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा बुधराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके चार पुत्रों पर औद हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 124/121 के खसरा न० 216/1.1380 हैक्, खसरा न० 265/3 की 12.3180 हैक्, कुल 13.4560 हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 38/34 के प० न० 237/390(26) किला न० 0 की 0.0510 हैक् गैर मुमकिन खाला किला न० 11/0.2530, 16/0.227, 17/0.2530, 18/0.2530, 19/0.2530, 20/0.2530, 21/0.2530, 22/0.2530, 23/0.2530, 24/0.2530, 25/0.228 हैक् कुल 2.7830 हैक् में से 1/4 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलान 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)